

Clarification in the revised credit transfer policy-reg.

----- Forwarded message -----

From: **Dr. Himansu Kumar Bose**

Date: Wed, Aug 6, 2025 at 7:10 PM

Subject: Re: Clarification in the revised credit transfer policy-reg.

Dear Sir,

Apropos the revised Credit Transfer Policy the following is clarified vis-a-vis the 7 year credit validity period.

1. The 7 years for 'credit validity' will have to be calculated backwards from the session in which new admission in IGNOUs programme has been taken and not from the date on which the CT application is submitted.
2. Application for CT can be submitted anytime within the maximum validity period of the new programme. However, the 7 years will have to be calculated backwards from the session in which admission was taken.
3. Validity of credits will start from the TEE in which the credit is finally completed (Theory + Assignment / Practical) and not from the date of initial admission in the previous programme.

For example - Supposing a student takes 2nd time admission in a Masters Degree programme in the January 2025 admission session, and applies for CT in the month of August 2027, so in this case

a) 7 years will be counted backwards from January 2025 and not August 2027.

b) Calculating 7 years backwards, the credits completed till TEE of December 2019 or after TEE December 2019 will be eligible to be transferred.

c) Any credits earned / completed before TEE of December 2019 will not be eligible for CT, as per the revised policy.

I hope this adequately explains the issue. Plz feel free to revert back if any other clarification is required.

Sincerely,
Dr Himansu K Bose
Registrar, SRD

Hindi translation (For the convenience of Students)

प्रिय महोदय,

संशोधित क्रेडिट ट्रांसफर नीति के संबंध में 7 साल की क्रेडिट वैधता अवधि के बारे में निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया गया है.

1. 'क्रेडिट वैधता' के लिए 7 साल की गणना उस सत्र से पीछे की ओर की जाएगी जिसमें इग्नू के कार्यक्रम में नया प्रवेश लिया गया है, न कि उस तारीख से जिस पर क्रेडिट ट्रांसफर आवेदन जमा किया गया है.

2. क्रेडिट ट्रांसफर के लिए आवेदन नए कार्यक्रम की अधिकतम वैधता अवधि के भीतर कभी भी जमा किया जा सकता है. हालांकि, 7 साल की गणना उस सत्र से पीछे की ओर की जाएगी जिसमें प्रवेश लिया गया था.

3. क्रेडिट की वैधता उस टीईई से शुरू होगी जिसमें क्रेडिट अंततः पूरा हो गया है (थ्योरी + असाइनमेंट / प्रैक्टिकल) न कि पिछले कार्यक्रम में प्रारंभिक प्रवेश की तारीख से.

उदाहरण के लिए - मान लीजिए कि एक छात्र जनवरी 2025 के प्रवेश सत्र में मास्टर डिग्री कार्यक्रम में दूसरी बार प्रवेश लेता है, और अगस्त 2027 के महीने में सीटी के लिए आवेदन करता है, तो इस मामले में

a) 7 साल की गणना जनवरी 2025 से पीछे की ओर की जाएगी न कि अगस्त 2027 से.

b) 7 साल पीछे की ओर गणना करने पर, दिसंबर 2019 के टीईई तक या दिसंबर 2019 के टीईई के बाद पूरे किए गए क्रेडिट ट्रांसफर के लिए पात्र होंगे.

c) दिसंबर 2019 के टीईई से पहले अर्जित / पूरे किए गए कोई भी क्रेडिट, संशोधित नीति के अनुसार, सीटी के लिए पात्र नहीं होंगे.

मुझे उम्मीद है कि यह इस मुद्दे को पर्याप्त रूप से समझाता है. यदि किसी अन्य स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो कृपया बेझिझक वापस आएं.

भवदीय,

डॉ. हिमांशु के. बोस
रजिस्ट्रार, एसआरडी